कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्याः एम0ई0–3 / यू0जी0–2022 / 2715 लखनऊःदिनांक 24 नवम्बर, 2022

कार्यालय ज्ञाप

यू0पी0 नीट यू0जी0–2022–23 की प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेशित निम्नांकित कुल 15 अभ्यर्थी, जिन्होंने अन्य प्रदेशों से जारी आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र के आधार पर प्रवेश प्राप्त कर लिया है :–

Sr.no.	Roll no	Name	Neet Rank	Neet Marks	Neet Category	UP Category	Allotted College name
1	1301030069	NARANG KANYA	965897	104	ST	ST	School Of Dental Sciences (Sharda university), Greater Noida
2	1301050014	DANI MODA	1042067	94	ST	ST	School Of Dental Sciences (Sharda university), Greater Noida
3	1301060698	TAGE ANKU	1017058	97	ST	ST	School Of Dental Sciences (Sharda university), Greater Noida
4	2301090443	LAVLEEN SINGH	919539	110	BC	BC	ITS Dental College, Grearter Noida.
5	1504020324	ANANYA RAJ	909503	112	BC	BC	School Of Dental Sciences (Sharda university), Greater Noida.
6	1502190669	RISHI RAJ	892321	115	BC	BC	ITS Dental College., Ghaziabad
7	1530030032	AYUSH SUMAN	954235	105	BC	BC	ITS Dental College., Ghaziabad
8	4301030107	GOURAV DEBBARMA	1029510	95	ST	ST	ITS Dental College, Grearter Noida.
9	2001150500	MOHD ADNAN	970905	103	BC	BC	IDST, MODINAGAR,
10	1402140110	FALAQUE SHAKIL	932923	109	BC	BC	F.H. Medical College, Agra
11	1516040677	MANIT RAJ	1037957	95	BC	BC	KD Dental College, Mathura
12	2001270193	MD AZAD	896591	114	BC	BC	F.H. Medical College, Agra
13	2001080898	GUL RAMAQ KHAN	949997	106	BC	BC	F.H. Medical College, Agra
14	2001340351	RUKHSAR KHATOON	913864	111	BC	BC	F.H. Medical College, Agra
15	3903630372	ABHISHEK DHAKED	921320	110	BC	BC	KD Dental College, Mathura

नेशनल टेस्टिंग एजेन्सी, नई दिल्ली द्वारा नीट यू0जी0–2022 हेतु जारी प्रेस रिलीज़, दिनांक 07 सितम्बर, 2022 में विभिन्न श्रेणियो में निम्नांकित कट–ऑफ स्कोर निर्धारित किया गया है :–

Category	Qulifiying Criteria	Neet UG 2022 Marks Range
UR/EWS	50th Percentile	117
OBC	40th Percentile	93
SC	40th Percentile	93
ST	40th Percentile	93
UR/EWS & PH	45th Percentile	105
OBC & PH	40th Percentile	93
SC & PH	40th Percentile	93
ST & PH	40th Percentile	93

नेशनल टेस्टिंग एजेन्सी, नई दिल्ली द्वारा जारी कट–ऑफ स्कोर के अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थी UR(OP) श्रेणी से अर्ह नही थे, किन्तु अपनी आरक्षित श्रेणी से अर्ह होने के कारण यू0पी0 नीट यू0जी0–2022 के प्रथम चक्र की काउंसिलिंग में पंजीकरण कराने के उपरान्त अनियमित रुप से आवंटन हो गया है। कार्यालय के संज्ञान में उक्त स्थिति प्रकाश में आने के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्र संख्याःएम0ई0–3 / यू0जी0–2022 / 2661, दिनांक 19.11.2022 को विभागीय वेबसाइट पर सूचना प्रदर्शित करते हुए उपरोक्त सभी अभ्यर्थियो को दिनांक 22.11.2022 को अपराह्न 2:00 बजे तक महानिदेशालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे जाने हेतु आमंत्रित किया गया था तथा इसकी सूचना सभी अभ्यर्थियो के रजिस्टर्ड मोबाईल नं0 पर प्रवेश हेतु नामित नोडल सेन्टर के माध्यम से सूचित भी किया गया था।

उक्त के क्रम में उपरोक्त तालिका के क्र0सं0 09, 10, 12 एवं 13 पर अंकित अभ्यर्थियो को छोड़ कर कोई भी अभ्यर्थी उपस्थित नही हुआ, जो अभ्यर्थी उपस्थित हुए उनके द्वारा अपने आरक्षित श्रेणी से सम्बन्धित कोई भी प्रमाण–पत्र/साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये। यू0पी0 नीट यू0जी0–2022 के द्वितीय चक्र काउंसिलिंग की च्वाईस फिलिंग दिनांक 19.11.2022 से 22.11.2022 तक निर्धारित थी, जिसे दृष्टिगत रखते हुए उक्त सभी अभ्यर्थियो को दिनांक 23.11.2022 को काउंसिलिंग हेतु रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर के माध्यम से यह सूचित किया गया कि यदि उनके पास कोई सम्बन्धित प्रमाण–पत्र उपलब्ध हो, तो तत्काल ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराये, अन्यथा की स्थिति में आपका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। इस सम्बन्ध में कतिपय अभ्यर्थियो द्वारा फोन रिसीव भी नही किया गया।

उल्लेखनीय है कि यू0पी0 नीट यू0जी0–2022 के नीति निर्धारण विषयक शासनादेश दिनांक 21 अक्टूबर, 2022, के बिन्दु 09(ख) पर आरक्षण के सम्बन्ध में निम्नवत् उल्लिखित है :–

"निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों की सीटों पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। अल्पसंख्यक संस्थानों को उनके बायलॉज के अनुसार अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण अनुमन्य किया जाएगा।"

उत्तर प्रदेश काउसिलिंग–2022 की विवरण–पुस्तिका के पृष्ठ संख्या–14 के बिन्दु–8(5) पर निम्नवत् अंकित है :–

"आरक्षण से सम्बन्धित सभी प्रमाण–पत्र (दिव्यांगता एवं एन0सी0सी0 प्रमाण–पत्र को छोड़कर) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्रारूप पर ही मान्य होंगे। अन्य प्रदेशों से निर्गत आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्रो पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।"

उपरोक्त वर्णित स्थिति पर सम्यक विचारोपरान्त यह पाया गया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेन्सी द्वारा जारी कट–ऑफ के आधार पर उउक्त अभ्यर्थी UR(OP) श्रेणी से अर्ह नही थे, किन्तु आरक्षित श्रेणी से अर्ह होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आरक्षित श्रेणी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नही किया गया। अतएव उक्त को दृष्टिगत रखते हुए उक्त 15 अभ्यर्थियो का प्रवेश एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

(श्रुति सिंह)
महानिदेशक।